

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19/2024 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति०जिला कलेक्टर,स०मा० निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2024/57

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	स.स.सं. सं.सू. सं.सं. सं.सं.
5.6.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वजीरपुर तहसील में जमाबन्दी नाम रघुनाथदास चेला नारायणदास दादूपंथी सम्वत् 2008 से 2011, 2.012-2015,2016-2019, 2020 ऐकीकरण ख०न० 3787/2,3782/2, 3780, 3781,3782,3783/1,3783/2,3784,3785, 3787/1 ,3791/1,3791/2, 3791/3, की जमाबन्दी की दो-दो प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करें। 2. जमाबन्दी वजीरपुर के नाम रघुनाथदास चेला नारायणदास दादूपंथी सम्वत् 2023,2036, 2027, 2030,,2031-2034,2024-2027,2028-2031,2032-2035 ख०न० 211,212,213, की जमाबन्दी की दो-दो प्रतिलिपि देने की कृपा करें। <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(1)(30)/सूकाअ/2024/537 दिनांक 24.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध भू अभिलेख अनुभाग से है। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग द्वारा अवगत कराया कि आवेदक द्वारा यह नहीं बताया कि कौनसे गांव की जमाबन्दी चाही गयी है। चूंकि आवेदक द्वारा गांव का नाम अंकित नहीं किया है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है जिसके संबंध में अपीलान्त को प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग के पत्रांक 478 दिनांक 7.5.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ग्राम का नाम अंकित नहीं होने के कारण सूचना तैयार किया जाना सम्भव नहीं है साथ ही यह भी अवगत कराया जा चुका है भूअभिलेख से संबंधित सूचना लेने हेतु नियमानुसार तहसील मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय के जिला अभिलेखागार में निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना का अवलोकन कर वांछित सूचना चिह्नित कर प्राप्त कर सकता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.3.2024 में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम इत्यादि अंकित नहीं होने के कारण अपीलान्त को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है जिसके संबंध में अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 478 दिनांक 7.5.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(डॉ०खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर